



समाज कल्याण
विभाग
उत्तर प्रदेश

छात्रवृत्ति योजना का प्रस्तुतीकरण

1



दशमोत्तर छात्रवृत्ति

आय सीमा

- अनु० जाति/अनु० जनजाति - ₹0 2.50 लाख वार्षिक।
- सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग - ₹0 2.00 लाख वार्षिक।

आयु सीमा

- निजी कालेज - अधिकतम 40 वर्ष (रिसर्च एवं डाक्टरेट को छोड़कर)
- राजकीय/अनुदा० - कोई आयु सीमा नहीं।

अन्य पात्रता

पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक

- अनुसूचित जाति - स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत।
- सामान्य वर्ग - स्नातक में न्यूनतम 55 प्रतिशत।

- न्यूनतम उपस्थिति - 75 प्रतिशत।
- मैनेजमेन्ट कोटा में छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं।
- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र।



विद्यार्थियों से वांछित अभिलेख

- आधार कार्ड।
- शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख।
- माता-पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र।
- छात्र के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र अस्वीकार्य।
- गत वर्ष का परीक्षा परिणाम सम्बन्धी अंकपत्र/प्रमाण-पत्र।
- अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र।



दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समूहवार शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की दरें

समूह	पाठ्यक्रम	शुल्क प्रतिपूर्ति		छात्रवृत्ति	
		अनु० जाति/ जनजाति	सामान्य वर्ग (अधिकतम शुल्क)	अनु० जाति/सामान्य वर्ग (वार्षिक)	
				आवासीय	दिवा छात्र
I	एम.फिल., पी.एच.डी., बी.टेक., सी.ए., आई.सी.डब्ल्यू.ए., सी.एस., आई.सी.एफ.ए., एल.एल.एम., डी.लिट., डी.एस.सी. आदि	समूहवार शुल्क प्रतिपूर्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं	50,000	13,500	7,000
II	एम.ए., एम.एस.सी., एम.काम., एम.एड., एम.फार्मा. आदि		30,000	9,500	6,500
III	बी.ए., बी.एस.सी., बी.काम. आदि		20,000	6,000	3,000
IV	आई.टी.आई., तीन वर्षीय डिप्लोमा (पालीटेक्निक), कक्षा 11-12 आदि		10,000	4,000	2,500

शुल्क प्रतिपूर्ति

- 1- सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क देने का प्राविधान ।
- 2- निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क का निर्धारण सक्षम स्तर से न होने पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम का न्यूनतम शुल्क देने का प्राविधान ।
- 3- शुल्क निर्धारण अधिकार प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में राज्य विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का अधिकतम अथवा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों का न्यूनतम शुल्क देने का प्राविधान ।



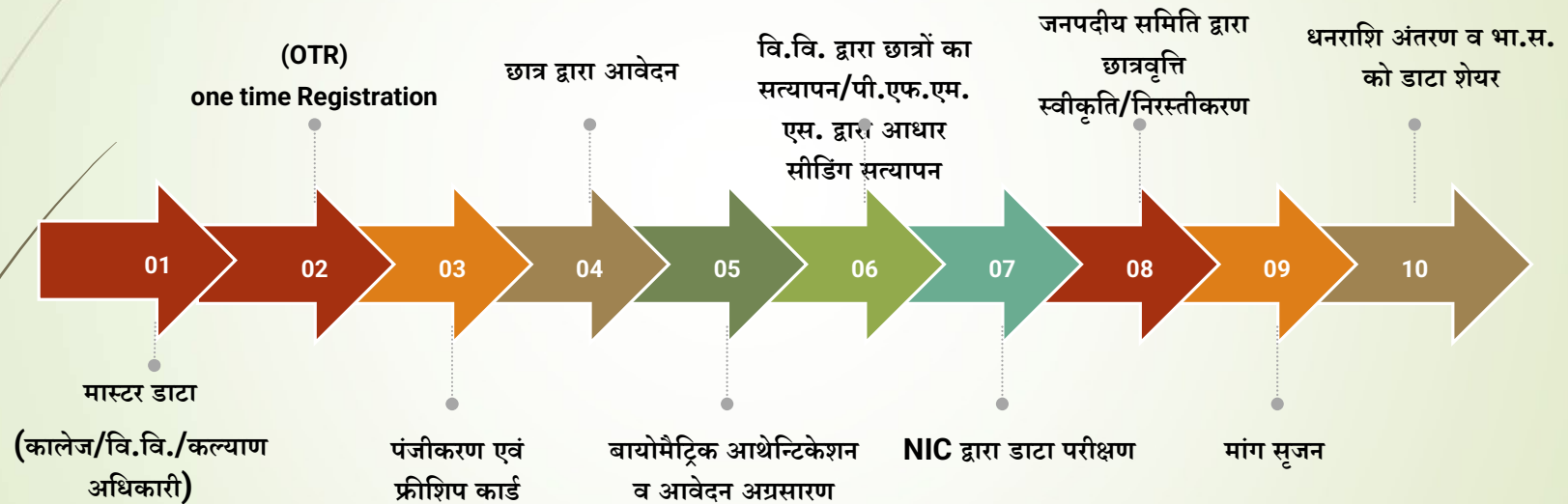
पोर्टल इंटीग्रेशन

- e-district - आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र का लाइव सत्यापन।
- Digilocker - छात्र का व्यक्तिगत विवरण यथा- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटो व पता का आटोफेच की व्यवस्था।
- PFMS - आधार बेस छात्र के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान।
- NPCI - आधार सीडिंग स्टेटस का लाइव सत्यापन।
- UIDAI - छात्रों का डेमोग्रेफिक ऑथेन्टिकेशन।
- AISHE - फर्जी संस्थानों पर प्रतिबन्ध।
- CBSE - हाईस्कूल विवरण की जांच।
- UDID - दिव्यांग छात्रों का आनलाइन सत्यापन (प्रक्रियाधीन)
- NSP - डुप्लीकेशन रोकने के लिए (De-duplication)
- UP/AMU/Sanskrit/ICSE

Board (प्रक्रियाधीन) - हाईस्कूल विवरण की जांच।



10 स्टेप प्रोसेस फ्लो चार्ट



पूर्वदशम समय सारिणी

(अनु० जाति/जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग)

मास्टर डाटा

विद्यालय स्तर पर

- 01 जुलाई, 2025 से 05 अक्टूबर, 2025 तक

छात्रों के लिए आवेदन अवधि

- 02 जुलाई, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक

संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारण

- 03 जुलाई, 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक

जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से छात्रों का सत्यापन

- प्रथम चरण- 01-09 सितम्बर, 2025

द्वितीय चरण- 07-15 नवम्बर, 2025

जनपदीय समिति से निर्णय

- प्रथम चरण- 12-20 सितम्बर, 2025

द्वितीय चरण- 18 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 2025

7

भुगतान तिथि

प्रथम चरण में 31 अगस्त तक आवेदित एवं

विद्यालय से अग्रसारित छात्रों को भुगतान

- 02 अक्टूबर, 2025

द्वितीय चरण में शेष छात्रों को भुगतान

- 31 दिसम्बर, 2025



दशमोत्तर समय सारिणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)

मास्टर डाटा

शिक्षण संस्थान स्तर पर	-	25 नवम्बर, 2025 तक
विश्वविद्यालय स्तर पर	-	05 दिसम्बर, 2025 तक
जनपदीय कल्याण अधिकारी स्तर पर	-	12 दिसम्बर, 2025 तक
छात्रों के लिए आवेदन अवधि	-	31 मार्च, 2026 तक
संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारण	-	11 जुलाई, 2025 से 16 अप्रैल, 2026 तक
विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का सत्यापन-	प्रथम चरण-	10-17 नवम्बर, द्वितीय चरण - 11-18 दिसम्बर, तृतीय चरण- 12-24 जन. 2026, चतुर्थ चरण - 17-30 अप्रैल 2026
जनपदीय समिति से निर्णय	-	21 नवम्बर, 2025 से 10 जून, 2026 तक
भुगतान की तिथि	-	15 दिसम्बर 2025, 24 जनवरी 2026, 10 मार्च 2026 व 22 जून 2026



दशमोत्तर समय सारिणी (सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग)

मास्टर डाटा

- | | | |
|--|---|--|
| शिक्षण संस्थान स्तर पर | - | 25 नवम्बर, 2025 तक |
| विश्वविद्यालय स्तर पर | - | 05 दिसम्बर, 2025 तक |
| जनपदीय कल्याण अधिकारी स्तर पर | - | 12 दिसम्बर, 2025 तक |
| छात्रों के लिए आवेदन अवधि | - | 20 दिसम्बर, 2025 तक |
| संस्था स्तर से आवेदन अग्रसारण | - | 11 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक |
| विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों का सत्यापन | - | प्रथम चरण- 11-18 दिसम्बर, 2025
द्वितीय चरण- 12-24 जनवरी, 2026 |
| जनपदीय समिति से निर्णय | - | 23 दिसम्बर, 2025 से 08 मार्च, 2026 तक |
| भुगतान की तिथि | - | 24 जनवरी, 2026
16 मार्च, 2026 |



मास्टर डाटा

- नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता आदि की समस्त सूचनायें भरकर रजिस्ट्रेशन करना। तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा डाटा सत्यापित कर डिजिटली लॉक करना। संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना।
 - पासवर्ड प्राप्त करने के उपरांत नवीन संस्था तथा पूर्व में मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्था द्वारा कोर्स, फीस, सीट आदि सूचनायें भरकर डिजिटली लॉक करना।
- 10 ■ विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के स्तर से लाक किये गये मास्टर डाटा को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से अनुमोदनोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा को आनलाइन लॉक किया जाना।



AISHE (All India Survey on Higher Education) वैलिडेशन

- AISHE वैलिडेशन/रिस्पांस में प्रदर्शित विश्वविद्यालय को एफिलियेशन में संस्था द्वारा चयन किया जायेगा।
- संस्था को एक विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय से एफिलियेशन के साथ-साथ रेगुलेटरी अथारिटी से एफिलियेशन प्राप्त होने पर वही विश्वविद्यालय मान्य होगा जो AISHE रिस्पांस में आया होगा तथा रेगुलेटरी अथारिटी एक्जेम्प्ट होगी। (AISHE कोड C से प्राप्त होने पर)
- AISHE रिस्पांस में प्रदर्शित विश्वविद्यालय मान्य होगा तथा रेगुलेटरी अथारिटी ही एक्जेम्प्ट होगी। (AISHE कोड U से प्राप्त होने पर)
- संस्था को केवल रेगुलेटरी अथारिटी से एफिलियेशन प्राप्त होने पर AISHE रिस्पांस में प्रदर्शित रेगुलेटरी अथारिटी मान्य होगी। (AISHE कोड S से प्राप्त होने पर)



One Time Registration (OTR)

➤ मोबाइल नम्बर भरना (आधार से लिंक) – सबमिट

➤ ओटीपी सबमिट

➤ रीडायरेक्ट डिजीलाकर

आधार नम्बर सबमिट

ओटीपी सबमिट

सहमति

हां

➤ छात्रवृत्ति पेज खुलना

छात्र की ई-के.वाई.सी. (आटोफेच)

छात्र का नाम पिता का नाम लिंग जन्मतिथि फोटो पता

सत्यापित

निरस्त

→ आधार नं० भरना व डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन हेतु ओ.टी.पी.- लाइव

➤ माता का नाम/पिता का नाम/ईमेल आई.डी.

➤ जनरेट ओ.टी.आर. नम्बर



पंजीकरण/फ्रीशिप कार्ड

ओ.टी.आर.

- ओ.टी.आर. नंबर भरना और कतिपय विवरण यथा- नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि प्राप्त करना।

रजिस्ट्रेशन

- शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान मान्य।
- निःशुल्क प्रवेश की स्थिति।
- केवल अनु० जाति/अनु० जनजाति छात्रों हेतु सुविधा।

आय
प्रमाण-पत्र

- आय प्रमाण-पत्र का लाइव सत्यापन।

जाति
प्रमाण-पत्र

- जाति प्रमाण-पत्र का लाइव सत्यापन।
- उप जाति अनु० जाति/अनु० जनजाति के अन्तर्गत होना।

फ्रीशिप कार्ड/
रजिस्ट्रेशन

- फ्रीशिप कार्ड संस्था में जमा करने हेतु स्वतः निर्गत।
- रजिस्ट्रेशन प्रति स्वतः निर्गत।



संस्था स्तर पर कार्यवाही के मुख्य बिन्दु

- संस्था द्वारा AISHE कोड प्राप्त करना व ससमय मास्टर डाटा लॉक करना।
- संस्था द्वारा अपात्र छात्रों के आवेदन पत्र को रिसीव न करना। परीक्षणोपरान्त पात्र छात्र का डाटा सत्यापित कर रिसीव करके वेरीफाई करना।
- UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक संस्था स्तर पर डिवाइस रजिस्टर्ड करके छात्रों का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन की कार्यवाही करना।
- छात्र के आवेदन पत्र को अग्रसारण से पूर्व समस्त विवरण यथा- गत वर्ष का परीक्षाफल, उपस्थिति, प्रवेश की तिथि आदि को भरना।
- संशोधन के समय छात्र का आवेदन पत्र संदेहास्पद की श्रेणी में आता है तो आवेदन पत्र में हुई त्रुटि के निराकरण हेतु छात्र का आवेदन पत्र पुनः अग्रसारण करना।



विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही के मुख्य बिन्दु

- नवीन मान्यता प्राप्त संस्थान का परीक्षणोपरान्त मास्टर डाटा में सम्मिलित करने हेतु संस्थान को सत्यापित करना।
- संस्था द्वारा लॉक किये गये मास्टर डाटा का सत्यापन समयान्तर्गत करना।
- परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात छात्रवृत्ति पोर्टल पर दिये गये प्रारूप में परीक्षाफल अपलोड करना।
- संस्था स्तर से अग्रसारित आवेदनों को सीटों की सीमा के अन्तर्गत सत्यापित करना।
- मास्टर डाटा सत्यापन के समय सीटों में EWS के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की वृद्धि करनी हो तो सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करना।



वर्ष 2025-26 से अनिवार्य रूप से लागू कार्यवाही

- शिक्षण संस्थानों की जियो टैगिंग ।
 - स्टेट पोर्टल पर ही डिजीलॉकर के माध्यम से छात्रों की ई-के.वाई.सी. करते हुए OTR Generation
 - प्रत्येक स्तर पर मास्टर डाटा लॉक/सत्यापित होने पर सर्टिफिकेट स्वतः जारी।
 - मास्टर डाटा संस्था/विश्वविद्यालय/जिला समिति से सत्यापित होने के उपरांत ही आवेदन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारण।
 - संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर डाटा में लॉक की गयी सीटों के अन्तर्गत ही आवेदन पत्र संस्था स्तर से अग्रसारण।
- 16 वर्ष 2025-26 से SNO (राज्य नोडल आफिसर), DNO (जनपदीय नोडल आफिसर), INO (इंस्टीट्यूट नोडल आफिसर), HOI (हेड आफ इंस्टीट्यूशन) तथा छात्रों का आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन अनिवार्य।



प्रस्तावित कार्यवाही

- समस्त शिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल रिकग्निशन उपस्थिति प्रणाली की स्थापना।
- छात्रवृत्ति पोर्टल को आयकर विभाग के पोर्टल से इंटीग्रेशन।



समाज कल्याण हेल्प लाइन/कमांड सेंटर
कल्याण साथी- 14568

छात्रवृत्ति वेबसाइट- <https://scholarship.up.gov.in>



ऐश्वर्यावाद्